

(डिकी)

प्रपत्र -5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र ग्रा0प0 पायगा

उनवान

ग्यारसा पुत्र औंकार जाति मीना निवासी पागया तहसील उनियारा जिला टोंक

-वादी

बनाम

- 1.राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलेक्टर टोंक
- 2.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0


-प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर :- 56 वर्ष 2016

वादी की ओर से श्री ग्यारसा प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार उनियारा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03.06.2016 को श्री सुभाषचन्द्र शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि आराजी ख0न0 376/1081 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम पायगा में वादी को 0.50 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। फरिकेन खर्च अपना-अपना वहन करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 06 सन् 2016 को जारी की

गई।


उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा